हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 119

वीरवार, 7 अप्रैल, 2016/18 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 3268, 3269, 3271, 3273 से 3283, 3285 तथा 3286 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3270, 3272 तथा 3284 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3287 से 3300 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1360 से 1379 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर :

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 1);

(2) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2); और

(3) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 3)।

3. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड II) हिमाचल प्रदेश सरकार।

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, निरीक्षक (होटल्स), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-3/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.04.2016 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(ix) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-3/2012 दिनांक 21.05.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.05.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक (खाद्य), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-3/2012 दिनांक 11.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, दन्त मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-8/2011 दिनांक 28.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2016 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश दन्त स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-9/2011 दिनांक 20.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.09.2013 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में पदाभिहित अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-1/2013 दिनांक 14.07.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2014 को प्रकाशित; और

(vi) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में उप सरकारी विश्लेषक, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-7/2007 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित।

((i) से (vi) तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है)

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(4) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 29(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक अधिनियम, 1971 की धारा 19-क(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

(1) **श्री बलबीर सिंह वर्मा** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को दैनिक भास्कर में छपे समाचार शीर्षक "**कई क्षेत्रों में सेब, मटर व गोभी की फसलों को क्षति**" से उत्पन्न स्थिति। "

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री बलबीर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"**शिमला नगर निगम क्षेत्र में जनता को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति न होने**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. <u>विधायी कार्यः</u>

(I) <u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक 12) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज ने बिल लाने तथा बिल में किए गए प्रावधानों के लिए माननीय मुख्य मन्त्री का धन्यवाद किया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 8) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 8) पारित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 9) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 9) पारित हुआ।

(iii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ।

(iv) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) पारित हुआ।

(v) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 8(a) पर माननीय मुख्य मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया।
संशोधन स्वीकार।
खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 12) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 12) संशोधित रूप में पारित हुआ।

(vi) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय **आबकारी एवं कराधान** मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री बिक्रम सिंह जरयाल, कृष्ण लाल ठाकुर, सुरेश कुमार, बलदेव सिंह तोमर, महेश्वर सिंह ,कृष्ण लाल ठाकुर, श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री जय राम ठाकुर, किशोरी लाल, रिखी राम कौंडल एवं सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्यों की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

सदन के नेता व मुख्य मन्त्री श्री वीरभद्र सिंह ने सत्र की समाप्ति पर कहाः-

"अध्यक्ष महोदय, आज लम्बी कार्यवाही के बाद विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही है। यह जो सारा सत्र था इसके अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर विचार हुए हैं और आम तौर पर सौहार्द रूप से यहां पर कार्यवाही हुई है। सभी ने इस माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा का अपना एक खास स्थान देश की अन्य विधान सभाओं में रहा है और वह है-अनुशासन, परस्पर सद्भावना और मिल जुल कर काम करना। यह हमारी बहुत पुरानी परम्परा है। इसको हमें कायम रखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय को और जो सभापति पदासीन हुए हैं, विपक्ष के नेता और पक्ष व विपक्ष के सभी साथियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। सभी के साथ काम करने से और उनके सहयोग से यह सत्र कामयाब हुआ है, सफल हुआ है और आमतौर पर शान्तिपूर्वक चला है। महत्वपूर्ण बजट यहां पर पारित हुआ है और इसी तरह से महत्वपूर्ण बिल और कानून भी यहां पर बनाए गए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों, मेरे सहयोगी मंत्रियों का भी धन्यवाद करता हूँ और विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से काम किया है उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद।"

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने कहाः-

"अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार रखें एक लम्बा सत्र 25 फरवरी, 2016 से शुरू हो कर 7 अप्रैल तक चला और निश्चित तौर पर जब सत्र प्रारम्भ हुआ था तो लगता था कि बड़ा लम्बा सत्र है। महामहिम् राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा इस साल का बजट पेश किया गया, गम्भीर चर्चाएं भी हुई है, लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए हैं। विपक्ष का काम आलोचना करने का होता है, निश्चित तौर पर उसमें लगता है कि मतभेद हो रहा है, मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारा सत्र अध्यक्ष

महोदय, आपके और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के और जो पैनल के सदस्य हैं उनके माध्यम से सुचारू रूप से चला। सचिवालय ने भी बहुत कठिन परिश्रम के साथ इतना लम्बा सत्र सम्भाला है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। मीडिया में भी इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी सारी कवरेज अच्छी आती रही, हम उनके भी धन्यवादी हैं।

जैसे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आज रात हिन्दू नववर्ष शुरू हो रहा है, नवरात्रे प्रारम्भ हो रहे हैं और हमारी संस्कृति के हिसाब से वही नया वर्ष है तो नववर्ष के लिए मैं सबको मंगल कामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यहां बैठे सब लोग स्वस्थ और सुखी रहें। सारे प्रदेश व देश के लिए यह वर्ष बहुत शुभ हो। अध्यक्ष महोदय, आपका सदन को बहुत बढ़िया ढ़ंग से चलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।"

सत्र की समाप्ति पर श्री महेश्वर सिंह, सदस्य ने कहाः-

"अध्यक्ष महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रभु कृपा से आज पुनः स्वस्थ हो कर आप आसन पर विराजमान हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि भविष्य में भी आप स्वस्थ रहें और आपकी छत्र-छाया हम सब पर बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय, सत्र के आरम्भ में मैंने एक निवेदन किया था जो मैं सदैव करता रहा हूं कि सत्र के दौरान शून्यकाल का प्रावधान होना चाहिए। सत्र के दिन जो प्रथम सर्वदलीय बैठक थी, उसमें सदन के नेता मान्यवर मुख्य मन्त्री महोदय और प्रतिपक्ष के नेता ने भी उसको स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन यह मामला अभी भी आपके विचाराधीन है। आज जब प्रश्नकाल के बाद यहां से माननीय सदस्या बोल रही थीं, एक महत्वपूर्ण विषय उठा रही थीं तो मुझे लगा कि अघोषित शून्यकाल का आरम्भ हो चुका है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी अनुकम्पा से आने वाले सत्र में निश्चित रूप से शून्यकाल का प्रावधान किया जा सकेगा ताकि सदन ठीक एवं सुचारू रूप से चले। ऐसा मेरा मानना है। आपने और आसन ने मुझ पर जो अपार कृपा की, उसके लिए धन्यवाद और मैं इस बार भी अनेकों विषयों पर बोल सका हूं। इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण

विश्वास है कि आने वाले समय में भी आपकी और आसन की सदैव कृपा बनी रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।"

माननीय अध्यक्ष ने सत्र की समाप्ति पर निम्न शब्द कहेः

"आज बजट सत्र का अन्तिम दिन है। इस सत्र की कुल 25 बैठकें आयोजित हुई। इन बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा के विषय उठाए और जो सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

नियम-61 के अन्तर्गत 4 विषय व नियम 62 के अन्तर्गत 19 विषयों पर चर्चा की गई। नियम 101 के अन्तर्गत सात गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर सार्थक चर्चा की गई तथा एक संकल्प सदन में प्रस्तुत कर चर्चा हेतु आगामी सत्र के लिए स्थगित किया गया।

नियम 63 व 130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े क्रमशः 1 व 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

इसी सत्र के दौरान कुल मिला कर 701 तारांकित तथा 241 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

12 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित किए गए तथा 11 विधेयक सभा द्वारा पारित किए गए।

नियम -324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 16 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गए तथा मन्त्रियों ने भी अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर वक्तव्य दिए।

सभा की समितियों ने भी 56 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए, वे भी बधाई के पात्र हैं।

अन्त में, मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया।

मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी, व सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया।

सदन के संचालन में सरकार व विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात सेवाएं दी, वे प्रशंसनीय है। प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया बन्धुओं ने भी सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, वे भी बधाई के पात्र है।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 1.25 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)